संख्या 2617/III(1)/04-529(पीडब्लूडी)/01 टीसी-2

प्रेषक,

डी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

देहरादून दिनांक 30नवम्बर,2004

लोक निर्माण अनुभाग-1

विषय:-**केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में धनराशि के व्यय की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2746/04 बजट(के०स०नि०)/04-05 दिनांक 03-11-2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्य हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित अवशेष रू० 20.00लाख (रू० बीस लाख मात्र)की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	2004-05 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	पौड़ी कांसखेत बांघाट सतपुली मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार	60.00	40.00	20.00
	योग	60.00	40.00	20.00

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को धनराशि का उपयोग कर तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित कर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।
2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल में उल्लिखित योजना/मार्ग के निर्माण/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा,यदि पूर्व धनराशि के उपयोग के दो माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित नहीं करने के कारण भारत सरकार से प्रतिपूर्ति में विलम्ब होता है तो इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का माना जायेगा ।
3. उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स,टेण्डर विषयक नियम एवं अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
4. उक्त कार्य करते समय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा । कार्य निर्धारित समय में ही किया जायेगा,और विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें ।

NIC
808

5. जिन मामलों में कार्य करने से पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति की
आवश्यकता हो,उनमें तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया
जायेगा ।

6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से
उत्तरदायी होंगे ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2005 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित
करके इसका एवं इस योजना के अन्तर्गत समस्त पूर्व स्वीकृत धनराशि का इसके पूर्ण उपयोग
के एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित
किया जायेगा ।उक्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
भी राज्य/भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के लेखानुदान संख्या-22 के
लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य
सड़कें-आयोजनागत-800 अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया
कार्य -00-24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1890(2)/वित्त अनुभाग-3/04 दिनांक
29-11-2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2917(1)/ II(1)/04तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा प्रथम)उत्तरांचल इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,पौड़ी/नैनीताल ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4. अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल ।
6. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन ।
7. लोक निर्माण अनुभाग-2,उत्तरांचल शासन ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव

30110404-pdf